

अपंजीकृत पट्टे/ किराए की भूमि पर कृषि गतिविधियों के लिए वित्तपोषण योजना

विषय: कृषि/ अनुषंगी कृषि गतिविधियों के लिए अपंजीकृत पट्टे पर जमीन/ किराए की जमीन पर ऋण दिया जा रहा है

पात्रता: सभी व्यक्ति/ एसएचजी/ जेएलजी

सुविधा की प्रकृति: कार्यशील पूंजी

ऋण की सीमा: आवश्यकता आधारित। हालांकि, ऋण की राशि रुपये **1.00** लाख से ऊपर होनी चाहिए।

वैकल्पिक सुरक्षा अचल संपत्ति के रूप में **150%** या तरल सुरक्षा के रूप में **100%** होनी चाहिए।

Note: For addition under Link Agriculture Banking – Farmers – Agriculture Credit Schemes